भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

लोक सभा

*** तारांकित प्रश्न सं.** 324

दिनांक 11 दिसंबर, 2019 को उत्तर दिये जाने के लिए

वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी

***324. श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः**

श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी बढाने हेतु तौर तरीकों का पता लगाने के लिए गठित उच्च स्तरीय सलाहकार समूह ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट में की गई सिफारिश का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समूह ने श्रम कानूनों, कर प्रणाली में सुधार करने, प्रवेश नियमों को सुगम बनाने तथा संरक्षणकारी नीतियों को समाप्त किये जाने हेतु कदम उठाने का सुझाव दिया है;

(घ) यदि हां, तो व्यापार की हिस्सेदारी बढाने हेतु इस समूह की सिफारिशों पर सरकार द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है/की जा रही है; और

(ड) कॉर्पोरेट कर सुधारों के उपरांत विभिन्न क्षेत्रों में सुधारों के लिये सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ड़) एक विवरण सभापटल पर रख दिया गया है।

"वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी" के संबंध में दिनांक 11 दिसंबर, 2019 के लिए लोकसभा के तारांकित प्रश्न सं. 324 के भाग (क) से (ड़) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क) जी हां।

(ख) और (ग) एचएलएजी की विस्तृत सिफारिशें वाणिज्य विभाग की वेबसाइट(http://commerce.gov.in पर उपलब्ध हैं)

(घ) एचएलएजी की रिपोर्ट के सुझाव और सिफारिशें विभिन्न संबंधित विभागों के साथ साझा की गई हैं।

(ड़) कर पद्धति में सुधारों के संबंध में, यह उल्लेख किया जाता है कि कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 (अध्यादेश) के द्वारा उन सभी घरेलू कॉरपोरेटों के लिए लागू अधिभार और उपकर सहित कॉरपोरेट कर दरों में 22 प्रतिशत तक की कमी की गई है जिन्होंने किसी प्रकार की कटौती अथवा प्रोत्साहन का दावा नहीं किया है। इसके अतिरिक्त, 01.10.2019 को अथवा इसके उपरांत निगमित किसी भी नई घरेलू विनिर्माण कंपनी को अधिनियम की धारा 115 बीएबी की उपधारा(2) के अनुसार किसी प्रकार की कटौती या प्रोत्साहन का दावा न करने वाली कंपनियों को अधिभार और उपकर सहित 15 प्रतिशत के कम कॉरपोरेट कर का लाभ दिया जा सकता है बशर्ते कि वे दिनांक 31.03.2023 तक किसी सामान अथवा वस्तु का विनिर्माण अथवा उत्पादन आरंभ कर दें। सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में पहले ही अनेक सुधार किए हैं और अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए सुधार प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। इनमें से कुछ सुधार विभिन्न अधिनियमों यथा वित्त(संशोधन) विधेयक, विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक, माल और सेवा कर अधिनियम द इनसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में संशोधन इत्यादि में संशोधन करके किया गया है।

****